Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 20-04-2018

To,

1 Vice Chancellor,
University of Delhi,
Delhi -110007

2. Executive Director,
School of Open Learning,
Campus of Open Learning,
5, Cavalry Lane, University of Delhi,
Delhi-110007

3. Liaison Officer (SC/ST),
School of Open Learning,
Campus of Open Learning,
5, Cavalry Lane, University of Delhi,
Delhi-110007

4. Secretary,
University Grants Commission
(UGC)
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi - 110002.

Sub Representation dated 26/09/2017 of Shri Mohindra Kumar Verma, convener, SOL Union, DU Cavalry, Lane Delhi regarding safeguards the constitutional rights SC/ST category and long pending demands of all non-teaching staff of SOL, University of Delhi, 5 cavalry lane Delhi.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 23.01.2018 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken report in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Mohindra Kumar Verma, Delhi University & College Karamchari Union, convener, Sol Union, DU Cavalry, Lane Delhi-110007
2. SAS, NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

विषयः श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त स्कूल विद्यालय कर्मचारी यूनियन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में काफी समय से लंबित कर्मचारियों की मांगें।

बैठक की तिथिः 23.01.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न 'क'

श्री महेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक, मुक्त स्कूल विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 21–09–2017 में आयोग को अवगत कराया गया कि मुक्त स्कूल विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में काफी विलंब हो रहा है तथा उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है।

आयोग द्वारा इस मामले में उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिनांक 01–11–2017 को नोटिस भेजा गया जिसमें 15 दिनों के अंदर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से इस संबंध में प्राप्त दिनांक 08.12.2017 का उत्तर को आवेदनकर्ता को दिनांक 05–01–2018 को सूचनार्थ भेजा गया। श्री महेंद्र कुमार वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय मे उक्त जवाब पर असहमति जताई और प्रत्युत्तर 07–01–2018 को आयोग को भेजा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 23.01.2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय, यूजीसी तथा दिल्ली मुक्त विद्यालय के अधिकारियों को चर्चा हेतु बुलाया। बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आयोग को बताया कि वर्ष 2011 के बाद अनुभाग अधिकारी के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई नियुक्ति नहीं की गई। वर्ष 2013 में अनुसूचित जनजाति के पद पर एक नियुक्ति की गई है और वर्ष 2007 में अनुसूचित जनजाति की जगह सामान्य वर्ग से भर दी गई। अनुभाग अधिकारी के जिस पद को भरे जाने की चर्चा हो रही है वे पद वास्तव में सहायक और सचिव के थे जिसकी स्वीकृति लेकर सामान्य वर्ग से भरा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजीसी से इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति मांगी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आज तक नहीं मिली है। जो पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे, वे अभी भी खाली है ।

सम्पर्क अधिकारी ने आयोग को बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में दिल्ली मुक्त विद्यालय ज्वाइन किया था और रिजर्वेशन रोस्टर की जांच कर यह पाया कि रोस्टर में काफी कमियां हैं और उन्होंने अब तक रोस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये है। नये भर्ती नियम वर्ष 2008 में बनाए गए। पदों को भरते समय बैकलॉक का ध्यान नहीं रखा गया, न ही खाली पदों को भरने के लिए कोई पैनल बनाया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिल्ली मुक्त विद्यालय के प्रतिनिधि ने आयोग को बताया कि उन्होंने 419 पदों को भरने के लिए यूजीसी को पत्र लिखा जिस पर यूजीसी से दिल्ली मुक्त विद्यालय को किसी भी पद को भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

आयोग का मानना है कि इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी रखी जाना चाहिए थी, जो नहीं हुआ। आयोग ने यह भी जानना चाहा अगर इन पदों को भरने की यूजीसी से स्वीकृति प्राप्त ही नहीं हुई तो इन लोगों को वेतन कहां से दिया जा रहा है। रोस्टर की विधिवत जांच होना चाहिए और वर्ष 2007 में अनुसूचित जनजाति के पदों को सामान्य वर्ग से भरने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई आयोग को इसकी भी जानकारी दें और इन त्रुटियों को कैसे दूर किया जा रहा है यह भी बताएं। संपर्क अधिकारी ने मुक्त विद्यालय (SOL) जो मुद्दे को लिखकर दिये है, मुक्त विद्यालय इस पर उचित कार्यवाही करके इन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करे और इसकी रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय को स्वीकृति हेतु भेजी जानी चाहिए। यह प्रक्रिया कम से कम समय में दिल्ली मुक्त विद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय आपसी सहमति से पूरी कर आयोग को अवगत कराएँ।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

दिनांक 23.01.2018 को 12:00 बजे हुई बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति शीट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नंदकुमार साय, अध्यक्ष,
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य,
3. श्री मती माया चिंतामण इवनाते, सदस्य,
4. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव,
5. श्री एन. पी मीणा, निदेशक,
6. श्री डी एस कुंभारे, अवर सचिव,
7. श्री डी.सी कटोच, परामर्शक,

दिल्ली विश्वविद्यालय

1. डॉ प्रदीप कुमार सहायक रजिस्ट्रार,
2. श्री वी राजा राजन, संयुक्त रजिस्ट्रार,
3. श्री ओ पी तंवर, सहायक रजिस्ट्रार,
4. श्री राजाराम, सहायक रजिस्ट्रार (एस.ओ.एल)
5. श्री सी पी राजीव, संयुक्त रजिस्ट्रार,
6. श्री एच. पोखरियाल अधिशासी निदेशक,

अभ्यावेदक

1. श्री महेंद्र कुमार वर्मा,
2. श्री एस.के भट्टाचार्य.